/

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं० – पी0पी0एम0–24/2016 3244 /कृ0, पटना दिनांक 16-08-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा – वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय– **वर्ष 2017–18 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज पर अनुदान योजना मद में 6010.65 लाख (साठ करोड़ दस लाख पैंसठ हजार) रू0 स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

वर्ष 2017–18 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज पर अनुदान योजना मद में 6010.65 लाख (साठ करोड़ दस लाख पैंसठ हजार) रू0 स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधार बीज पर अनुदान योजना वर्ष 2017–18 हेतु स्वीकृत योजना कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है– (भौतिक–क्वी0 में, वित्तीय–लाख रू0 में)

घटक	अनुदान सहायता	मौसम	फसल	भौतिक	बीज मूल्य रू0/क्वीं	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7
मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना	मूल्य का 90%	खरीफ	धान	5085.36	3400	155.61
			अरहर	1151.84	10000	103.67
		रबी	गेहूं	17856	3400	546.39
			चना	3761.76	10000	338.56
			मसूर	2485.12	10000	223.66
			योग			**1367.89**
एकीकृत बीज ग्राम योजना	50%	खरीफ	धान	90	3400	1.53
	60%		अरहर	24	10000	1.44
	50%		मडुआ	5	5000	0.13
			जूट	5	10000	0.25
		रबी	गेहूं	1000	3400	17.00
	60%		चना	432	10000	25.92
			मसूर	240	10000	14.40
			योग			**60.67**
मिनीकिट योजना	80%	खरीफ	धान (स्वर्णा सब–1, सहभागी, सम्पदा)	18000	3400	489.60
बीज वितरण कार्यक्रम	Rs. 15/kg	रबी	गेहूं	231455	1500	3471.83
आधार बीज पर अनुदान योजना	Rs. 15/kg	खरीफ	धान	4489	1500	67.34
	Rs. 70/kg		अरहर	108	7000	7.56
			उड़द	41	7000	2.87
			मूंग	38	7000	2.66
	Rs. 33/kg		तिल	1	3300	0.03
	Rs. 33/kg		सोयाबीन	202	3300	6.67
	Rs. 15/kg	रबी	गेहूं	25575	1500	383.63
	Rs. 70/kg		मसूर	860	7000	60.20
			मटर	13	7000	0.91
			चना	1250	7000	87.50
	Rs. 33/kg		राई/सरसों	34	3300	1.12
			तिसी	5	3300	0.17
			योग			**620.66**
			कुल योग			**6010.65**

E:\ABHINAV\2017-18\CMHM.docx

3. **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना–**

राज्य में गुणवत्ता वाले बीज की पहुंच सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में करने एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन धान एवं गेहूं फसल में राज्य के सभी राजस्व गांवों में किया जाना है तथा अन्य फसलों के चयनित राजस्व गांव में किया जाना है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में धान, अरहर, गेहूँ, चना एवं मसूर के आधार/प्रमाणित बीज किसान को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित फसलों (धान, अरहर, गेहूं, चना, मसूर) के बीज उत्पादन हेतु प्रत्येक राजस्व गांव से 02 (दो) किसानों का चयन किया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–1 एवं 2 में संलग्न किया गया है।

बीज की मात्रा– धान एवं गेहूँ के बीज आधा एकड़ क्षेत्र के लिए क्रमशः 6 कि0ग्रा0 एवं 20 कि0ग्रा0 तथा अरहर, चना, मसूर के बीज एक चौथाई एकड़ क्षेत्र के लिए क्रमशः 2 कि0ग्रा0, 8 कि0ग्रा0 एवं 4 कि0ग्रा0 उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुमान्य अनुदान – योजनान्तर्गत सभी फसलों के बीज पर 90 प्रतिशत अनुदान राशि अनुमान्य है। चयनित किसानों द्वारा फसलों के बीज का क्रय पूर्ण भुगतान कर किया जायेगा।

योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण– जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा योजना का कार्यान्वयन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के माध्यम से कार्यान्वित कराया जायेगा। योजना का अनुश्रवण जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

बीज की उपलब्धता– मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम से प्राथमिकता के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम के पास बीज की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अन्य सरकारी बीज कम्पनियों से बीज की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।

4. **एकीकृत बीज ग्राम योजना**– योजनान्तर्गत चयनित किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर धान, मडुआ, जूट एवं गेहूँ, फराल के प्रजनक/आधार बीज एवं 60 प्रतिशत अनुदान पर अरहर, चना एवं मसूर फसल के प्रजनक/आधार बीज उपलब्ध कराया जायेगा। एकीकृत बीज ग्राम के किसानों को अनिवार्य प्रमाणीकरण से जोड़ा जायेगा। जो बीज उत्पादित होंगे उन्हें बिहार राज्य बीज निगम द्वारा क्रय किया जायेगा। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची–3 एवं 4 में संलग्न किया गया है।

बीज की उपलब्धता– एकीकृत बीज ग्राम योजना में बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. **मिनीकिट योजना**– योजनान्तर्गत खरीफ मौसम में बाढ़ एवं सुखारोधी धान प्रभेद के बीज का वितरण प्रभावित क्षेत्रों में किया जायेगा। बाढ़ संभावित जिलो में स्वर्णा सब–1 धान प्रभेद एवं सुखा संभावित जिलो में सहभागी एवं सम्पदा प्रभेद के धान बीज किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। जिलावार लक्ष्य अनुसूची 5 में निर्धारित की गयी है। किसान का चयन प्रखंड स्तर पर किया जायेगा। विशेष प्रभावित क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी, तदनुरूप जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंडवार लक्ष्य का बिखंडन करेगें। चयनित किसान को 6 कि0ग्रा0 का एक पैकेट मिनीकिट के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना अंतर्गत किसानों को बीज लागत मूल्य का 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

बीज की उपलब्धता– बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीज की उपलब्धता संबंधित जिलो में सुनिश्चित की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी बिहार राज्य बीज निगम से समन्वय स्थापित कर बीज उपलब्धता किसानों के क्रय हेतु सुनिश्चित करेगें।

6. **बीज वितरण कार्यक्रम** –

- फसलों के निर्धारित बीज विस्थापन दर प्राप्ति हेतु बीज वितरण की योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। वर्ष 2017–18 में गेहूँ प्रमाणित बीज वितरण की योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं BGREI योजना के अतिरिक्त राज्य योजना से निर्धारित किया गया है। राज्य योजना अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की अनुदान राशि राज्य योजना से उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य योजनान्तर्गत जिलावार लक्ष्य अनुसूची–6 में संलग्न किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं BGREI योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य से संबंधित विस्तृत सूचना उनके स्तर से जिलो को उपलब्ध करायी जायेगी।

- योजनान्तर्गत रबी में प्रमाणित गेहूं बीज 10 वर्ष के अदंर के प्रभेद किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित फसल प्रभेद की सूची पत्रांक 2147 दिनांक 23.05.17 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रमाणित गेहूं बीज पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 रूपये प्रति कि०ग्रा० की दर से अनुदान देय होगा।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रमाणित गेहूँ बीज पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 रू० प्रति किलो० था, जिसे वित्तीय वर्ष 2017–18 में बढ़ाकर मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 रू० प्रति किलो० किया गया है। एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र के लिए बीज क्रय करने पर अनुदान राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

बीज वितरण की प्रक्रिया–

- बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम एवं राज्य के लिए चयनित अन्य सरकारी बीज कम्पनी/निगम/संस्थाओं द्वारा अपने अधिकृत विक्रेता के माध्यम से प्रखंड स्तर तक सुनिश्चित किया जायेगा।
- बीज वितरण योजना में बीज की उपलब्धता सभी सम्बद्ध सरकारी बीज कम्पनी/निगम/संस्थाओं के विक्रेता के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य के अनुरूप प्रखंडवार खुदरा बिक्रेताओं को चिन्हित किया जायेगा।

7. **आधार बीज पर अनुदान योजना**–योजना कार्यान्वयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत है–

I. योजना में भाग लेने हेतु इच्छुक किसानों को सर्वप्रथम अपना निबंधन कृषि विभाग के बेवसाइट www.krishimis.in पर कराना अनिवार्य है।

II. किसान द्वारा बेवसाइट पर निबंधन में अपना नाम, पूर्ण पता, आधार कार्ड नं0, बैंक का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं बैंक खाता नं0 तथा जमीन के संबंध में पूर्ण सूचना की प्रवृष्टि करना अनिवार्य होगा।

III. फसलवार आधार बीज पर अनुमान्य अनुदान प्रमाणित बीज वितरण योजना में देय अनुदान के बराबर होगा जो मूल्य के 50 प्रतिशत अथवा स्वीकृत दर (कंडिका–3 में उल्लेखित) में से जो कम होगा देय होगा।

IV. किसानों द्वारा फसलों के आधार बीज का क्रय बीज उत्पादक संस्था से ही किया जायेगा, जिनका निबंधन संबंधित राज्य के राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी द्वारा किया गया हो।

V. प्रमाणित बीज आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा कृषकों को तीन प्रति में कैशमेमो उपलब्ध कराया जायेगा। किसान को कैशमेमो की 3 प्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

VI. किसान आधार बीज उत्पादक संस्था से बीज क्रय कैशमेमो की एक प्रति बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को उपलब्ध कराते हुए बीज उत्पादन क्षेत्र से संबंधित फसलों के रकवा का निबंधन करायेगें।

VII. बीज उत्पादक किसान को उत्पादित प्रमाणित बीज के विपणन हेतु राज्य में कार्य कर रही सरकारी या निजी बीज कम्पनी/प्रतिष्ठान के साथ सम्बद्ध होना अनिवार्य होगा एवं सम्बद्धता का प्रमाण पत्र अनुदान दावा हेतु जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

VIII. बीज प्रमाणन एजेन्सी के फसलवार निबंधित रकवा के प्रमाण पत्र के साथ किसान अनुमान्य अनुदान राशि हेतु दावा संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के पास करेगें।

IX. योजनान्तर्गत एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। 10 एकड़ क्षेत्र में एक से अधिक फसल लिया जा सकता है।

X. योजना से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–7 एवं 8 के रूप में सलंग्न है।

8. **उपरोक्त सभी योजनाओं के कार्यान्वयन**

- उपरोक्त सभी योजनाओं के अनुदान मद की राशि का आवंटन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिले के लक्ष्य को प्रखंडवार विखंडित कर प्रखंड कृषि पदाधिकारी को संसूचित किया जायेगा।
- **अनुदान भुगतान**–बीज क्रय के पश्चात कैशमेमो की प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी को किसान द्वारा अनुमान्य अनुदान भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त अनुमान्य अनुदान राशि का भुगतान प्रखंड कृषि/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किसान के बैंक खाता में NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

- किसान अपनी इच्छानुसार संबंधित बीज कम्पनी / निगम / संस्था से बीज क्रय करेगें। क्रय किये गये बीज के कैशमेमो की एक (मूल) प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगें। जिला कृषि पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी सत्यापन उपरान्त देय अनुदान की राशि किसान के खाता में NEFT के माध्यम से स्थानांतरित करेगें।
- बीज वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों को सुगमतापूर्वक बीज उपलब्ध हो एवं अनुदान राशि DBT द्वारा उनके खाते में शीघ्र भेजा जा सके, इसके लिए कार्यक्रम से संबंधित नोट एवं किसानों को विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कैशमेमो प्रारूप की प्रति अनुसूची– 9 के रूप में संलग्न किया गया है। तदनुरूप बीज वितरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी अनुसूची–10 के रूप में संलग्न है।
- सभी योजनाओं में बीज वितरण के पूर्व बीज के जाँच हेतु नमूना अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लिया जायेगा तथा जांच हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जायेगा।
- नमूना अमानक पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।
- प्रशासी विभाग द्वारा कार्यान्वयन में यथाआवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि–कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 103 बीज,उपशीर्ष–0109–बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड– 01–2401001030109 विषय शीर्ष– 0109.33.01 सब्सिडी	8239.26	4988.84
मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि–कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड 01–2401007890117 विषय शीर्ष– 0117.33.01 सब्सिडी	1588.77	961.70
मुख्य शीर्ष–2401–फसल कृषि–कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0140–बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड–01–2401007960140 विषय शीर्ष–0140.33.01 सब्सिडी	99.30	60.11
कुल	**9927.33**	**6010.65**

10. वित्त विभाग का संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनाक 08.08.2017 की बैठक में स्वीकृति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–66 / 2016 के पृ०सं०–63 / टि० पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0–66 / 2016 के पृष्ठ संख्या– 65 / टि० पर दिनांक 11.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12-8-2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–24 / 2016 3244 / कृ0, पटना दिनांक 16-08- 2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12-8-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\CMHM.docx

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–24/2016 3244 /कृ0, पटना दिनांक 16-08-2017

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–24/2016 3244 /कृ0, पटना दिनांक 16-08-2017

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन/प्रशासक, बिहार राज्य बीज निगम/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक, उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12.8.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\CMHM.docx

अनुसूची–1

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना खरीफ 2017 का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंडों की संख्या	कुल राजस्व ग्राम की संख्या	धान (भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य)				अरहर (भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य)				कुल वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)
				चयनित राजस्व ग्राम की संख्या	लाभान्वितों की संख्या (दो किसान / राजस्व ग्राम)	बीज वितरण लक्ष्य (क्वीं में) (6 किलो / किसान)	राशि (@ Rs. 34/ कि0ग्रा0) 90 प्रतिशत (लाख रू0)	चयनित राजस्व ग्राम की संख्या	लाभान्वितों की संख्या (दो किसान / राजस्व ग्राम)	बीज वितरण लक्ष्य (क्वीं में) (2 किलो / किसान)	राशि (@ Rs. 100/ कि0ग्रा0) 90 प्रतिशत (लाख रू0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पटना	23	1297	1283	2566	153.96	4.71	649	1297	25.94	2.33	7.05
2	नालन्दा	20	1048	1046	2092	125.52	3.84	524	1048	20.96	1.89	5.73
3	भोजपुर	14	1207	1207	2414	144.84	4.43	604	1207	24.14	2.17	6.60
4	बक्सर	11	1134	1102	2204	132.24	4.05	567	1134	22.68	2.04	6.09
5	रोहतास	19	1792	1792	3584	215.04	6.58	896	1792	35.84	3.23	9.81
6	कैमूर	11	1697	1338	2676	160.56	4.91	849	1697	33.94	3.05	7.97
7	गया	24	2893	2893	5786	347.16	10.62	2893	5786	115.72	10.41	21.04
8	जहानाबाद	7	576	576	1152	69.12	2.12	576	1152	23.04	2.07	4.19
9	अरवल	5	331	331	662	39.72	1.22	331	662	13.24	1.19	2.41
10	नवादा	14	1075	1040	2080	124.8	3.82	1075	2150	43	3.87	7.69
11	औरंगाबाद	11	1775	1775	3550	213	6.52	1775	3550	71	6.39	12.91
12	सारण	20	1756	1756	3512	210.72	6.45	1756	3512	70.24	6.32	12.77
13	सिवान	19	1524	1524	3048	182.88	5.60	762	1524	30.48	2.74	8.34
14	गोपालगंज	14	1566	1460	2920	175.2	5.36	783	1566	31.32	2.82	8.18
15	मुजफ्फरपुर	16	1827	1827	3654	219.24	6.71	914	1827	36.54	3.29	10.00
16	पूर्वी चंपारण	27	1310	1310	2620	157.2	4.81	655	1310	26.2	2.36	7.17
17	चंपारण	18	1494	1494	2988	179.28	5.49	747	1494	29.88	2.69	8.18
18	सीतामढ़ी	17	846	846	1692	101.52	3.11	423	846	16.92	1.52	4.63
19	शिवहर	5	203	203	406	24.36	0.75	102	203	4.06	0.37	1.11
20	वैशाली	16	1569	1566	3132	187.92	5.75	785	1569	31.38	2.82	8.57
21	दरभंगा	18	1321	1207	2414	144.84	4.43	661	1321	26.42	2.38	6.81
22	मधुबनी	21	1116	1116	2232	133.92	4.10	558	1116	22.32	2.01	6.11
23	समस्तीपुर	20	1220	1000	2000	120	3.67	610	1220	24.4	2.20	5.87
24	बेगूसराय	18	1249	640	1280	76.8	2.35	625	1249	24.98	2.25	4.60
25	मुंगेर	9	892	700	1400	84	2.57	446	892	17.84	1.61	4.18
26	लखीसराय	7	476	283	566	33.96	1.04	476	952	19.04	1.71	2.75
27	शेखपुरा	6	313	313	626	37.56	1.15	313	626	12.52	1.13	2.28
28	जमुई	10	1506	1506	3012	180.72	5.53	1506	3012	60.24	5.42	10.95
29	भागलपुर	16	1520	1062	2124	127.44	3.90	760	1520	30.4	2.74	6.64
30	बांका	11	2132	2132	4264	255.84	7.83	2132	4264	85.28	7.68	15.50
31	सहरसा	10	472	472	944	56.64	1.73	236	472	9.44	0.85	2.58
32	सुपौल	11	525	525	1050	63	1.93	263	525	10.5	0.95	2.87
33	मधेपुरा	13	444	444	888	53.28	1.63	222	444	8.88	0.80	2.43
34	पूर्णिया	14	1281	1281	2562	153.72	4.70	641	1281	25.62	2.31	7.01
35	किशनगंज	7	771	771	1542	92.52	2.83	386	771	15.42	1.39	4.22
36	अररिया	9	742	742	1484	89.04	2.72	371	742	14.84	1.34	4.06
37	कटिहार	16	1553	1509	3018	181.08	5.54	777	1553	31.06	2.80	8.34
38	खगड़िया	7	306	306	612	36.72	1.12	153	306	6.12	0.55	1.67
	कुल योग	534	44759	42378	84756	5085.36	155.61	28796	57592	1151.84	103.67	259.28

संतोष कुमार उत्तम

5/15